

विहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग।

प्रेम्क

सेवा में,

श्री हेमचन्द्र झा
सरकार के सचिवता सचिव।

सचिव,
स्कूल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र कम्प्लेक्स सेंटर, पूर्वांचल विहार
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 18 मार्च 2005

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को स्कूल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमि करने के
संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए
कहना है कि दिनांक 7-12-2004 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निर्गमि किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सकारात्मकता से लिए गए
निर्णय के अंतर्गत में निर्मांकित निजी विद्यालयों को सीओबीएसईओ, नई दिल्ली
से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गमि करने का निर्णय
लिया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के समकक्ष पैनल का भूतान विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर
कर्मियों को करना होगा।

- 11 पीओसी हाई स्कूल, परसा, समस्तीपुर
- 12 डीएसभीओ पब्लिक स्कूल, दाउदनगर, औरंगाबाद
- 13 हेरो इग्लिश स्कूल, विद्यापति चौक, कटहुलवाड़ी, दरभंगा
- 14 अररिया पब्लिक स्कूल, अररिया
- 15 विजेन्द्र पब्लिक स्कूल, पूर्णिया
- 16 चिलियेन्ट पब्लिक स्कूल, पुरानी चिजती कॉलोनी, जहानाबाद
- 17 डीएसभीओ पब्लिक स्कूल, मानपुर, कटिया, गया
- 18 जयहिन्द पब्लिक स्कूल, विज्ञाननगर, गया डोभी रोड, बोधगया
- 19 टीओ रजा हाई स्कूल, वीएसएम दास रोड, पटना
- 100 ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आतमगंज चौकी, पटना
- 111 एसएसडीएसओ कॉन्वेंट स्कूल, घाटनी चौक, शोउपुरा
- 112 रॉयल माइकेल स्कैडमी, ईस इग्लिश मीडियम, कमलनाथनगर, धैतिया
- 113 बुद्ध पब्लिक स्कूल 03, अशोकनगर, गया
- 114 लीड्स एसियन स्कूल एसियन स्कूल नहर चौक, पैली रोड, पटना

विश्वरामाजन,

हेमचन्द्र झा
सरकार के सचिवता सचिव।

पीओसीओ

आपक

७७

पटना, दिनांक 18 मार्च 2005

प्रतिलिपि संविक्षित जिला पदाधिकारी/संविक्षित क्षेत्रीय विभाग उप निदेशक/संविक्षित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संविक्षित विद्यालय के प्रचारार्थ को सूनार्थ एवं आवश्यक कार्याधि प्रेषित ।

2- शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा ।

3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गति अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

- 1क। विद्यालय द्वारा विद्यालय के विद्यार्थी/अधीनस्थ कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते अर्थात् का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अतिक्रमिक विलम्ब किया जा रहा है।
- 1ख। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए अन्यायपूर्ण कागजात एवं अभिलेख जमाए जाते अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर,
- 1ग। विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद के लिए राशि की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो,
- 1घ। विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो जिसमें समाज में विभिन्न सोसायटियों के बीच कटुता पैदा हो;
- 1च। सी0वी0ए0ए0ई0 मापर्टड के अनुरूप भवनो में सी0वी0ए0ए0ई0 मापर्टड के अनुरूप विद्यालयों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर ।

हेमचन्द्र झा

सरकार के संयुक्त सचिव ।

आपक

७७

पटना, दिनांक 18 3-05

प्रतिलिपि सचिव, निदेशक, मा0वि0ए0/निदेशक, प्रा0वि0ए0/संयुक्त सचिव मानवसंसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

आपक

७७

पटना, दिनांक 18 मार्च 2005

प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, पु0ए0 एवं मा0ए0, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।